राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः प.3(1)वित्त–1(1)/आ.व्यय./2004 पार्ट–। जयपुर, दिनांक :27 मार्च, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलैक्टर्स सहित)

विषय :– कोविड–19 महामारी के परिदृश्य में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आर्थिक सहायता।

महोदय,

राज्य में कोविड–19 महामारी के परिदृश्य में राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों की विभिन्न परिषदों/संघों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके दृष्टिगत राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के माह मार्च, 2020 देय अप्रैल, 2020 के मूल वेतन से निम्नानुसार कटौति किये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :–

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी सेवा अनुरूप वर्गीकरण	वेतन कटौति के लिए दिवस की संख्या
1.	अखिल भारतीय सेवाओं के समस्त अधिकारी एवं केन्द्रीय सेवाओं के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित समस्त अधिकारी (यथा IAS, IPS, IFS, IRS इत्यादि)	पांच दिवस
2.	समस्त राज्य सेवाओं के अधिकारी	पांच दिवस
3.	राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी	तीन दिवस
4.	समस्त मंत्रालयिक सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी	दो दिवस
5.	समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक दिवस

उपरोक्तानुसार कटौति की गई राशि **बजट मद– 8448–स्थानीय निधियों की जमा, 120–अन्य निधियां, (07)– राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष, [10]– कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ** में जमा की जायेगी।

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु वेतन से कटौति की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र सलंग्न किया जायेगा।

संबंधित कोषागार द्वारा उक्त मद में जमा की गई राशि को संकलित किया जाकर उसी माह में सचिवालय कोष को स्थानान्तरित किया जावेगा।

संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान,जयपुर को भिजवाई जायेगी।

भवदीय,

27/3/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2004 पार्ट। दिनांक : 27 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता तथा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उनके अधीन सोसायटीज/स्थानीय निकाय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि के संबंध में भी उपरोक्तानुसार आदेश जारी करवाने का श्रम करें।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को आई.एफ.एम.एस.–पे मैनेजर पर कटौति हेतु आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य के समस्त बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में भी उपरोक्तानुसार आदेश जारी करवाने का श्रम करें।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन बिलों से की गई कटौति से बजट मद 8448–120–(07)–[10] में जमा राशि उसी माह में कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के पी.डी. खाते में जमा कराने हेतु हस्तान्तरित करेंगें।

निदेशक, वित्त (बजट)